©

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 49)

[1 अक्तूबर, 1982 को यथाविद्यमान]

The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976

(Act No. 49 of 1976)

[*As on the 1st October, 1982*]

1983

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-
नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) 2 रुपए ; (विदेश में) पौंड 0.23 या 0$ 72 सैंट्स

PREFACE

This is a diglot edition of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 as on the 1st October, 1982, containing the authoritative Hindi text thereof along with its English text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 12, Vol. XVI, dated 28th October, 1980 on pages 1044 to 1059.

This text of the Act was prepared by the Official Languages Wing and it was published under the Authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963, and on such publication, it became the authoritative text in Hindi.

R. V. S. PERI SASTRI,
Secretary to the Government of India.

NEW DELHI;
1*st October*, 1982.

2

प्राक्कथन

यह 1 अक्तूबर, 1982 को यथाविद्यमान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 28 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 12, खण्ड xvi में पृष्ठ 1044 से 1059 में प्रकाशित हुआ था।

इस अधिनियम का हिन्दी पाठ राजभाषा खण्ड ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, अब यह हिन्दी में प्राधिकृत है।

नई दिल्ली : — **रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री**

1 अक्तूबर, 1982 — सचिव भारत सरकार।

THE FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) ACT, 1976.

ARRANGEMENT OF SECTIONS

CHAPTER I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title, extent, application and commencement.
2. Definitions.
3. Application of other laws not barred.

CHAPTER II

REGULATION OF FOREIGN CONTRIBUTION AND FOREIGN HOSPITALITY

4. Candidate for election, etc., not to accept foreign contribution.
5. Organisation of a political nature not to accept foreign contribution except with the prior permission of the Central Government.
6. Certain associations and persons receiving foreign contribution to give intimation to the Central Government.
7. Recipients of scholarships, etc., to give intimation to the Central Government.
8. Persons to whom section 4 shall not apply.
9. Restrictions on acceptance of foreign hospitality.
10. Power of Central Government to prohibit receipt of foreign contribution etc., in certain cases.
11. Application to be made in prescribed form for obtaining prior permission to accept foreign contribution or hospitality.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

12. Power to prohibit payment of currency received in contravention of the Act.
13. Recipients of foreign contribution to maintain accounts, etc.
14. Inspection of accounts or records.
15. Seizure of accounts or records.
16. Seizure of article or currency received in contravention of the Act.
17. Seizure to be made in accordance with the Code of Criminal Procedure, 1973.
18. Confiscation of article or currency obtained in contravention of the Act.

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारम्भ	1
2.	परिभाषाएं	1
3.	अन्य विधियों का लागू होने से वर्जित न होना	3

अध्याय 2

विदेशी अभिदाय और विदेशी आतिथ्य का विनियमन

4.	निर्वाचन-अभ्यर्थी आदि का विदेशी अभिदाय को स्वीकार न करना	3
5.	राजनीतिक प्रकार के संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार न किया जाना	4
6.	विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले कुछ संगमों और व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना देना।	5
7.	छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने वालों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना देना	5
8.	व्यक्ति जिनको धारा 4 लागू नहीं होगी	5
9.	विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने पर निर्बन्धन	6
10.	केन्द्रीय सरकार की कुछ मामलों में विदेशी अभिदाय आदि प्राप्त करने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति	6
11.	विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए विहित प्ररूप में आवेदन किया जाना	7

अध्याय 3

प्रकीर्ण

12.	अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त करेन्सी का संदाय प्रतिषिद्ध करने की शक्ति	7
13.	विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वालों द्वारा लेखाओं आदि का रखा जाना	7
14.	लेखाओं या अभिलेखों का निरीक्षण	7
15.	लेखाओं या अभिलेखों का अभिग्रहण	8
16.	अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त वस्तु या करेन्सी का अभिग्रहण	8
17.	अभिग्रहण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किया जाएगा	8
18.	अधिनियम के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या करेन्सी का अधिहरण	8

SECTIONS

19. Adjudication of confiscation.

20. Opportunity to be given before adjudication of confiscation.

21. Appeal.

22. Penalty for article or currency obtained in contravention of section 12.

23. Punishment for the contravention of any provision of the Act.

24. Power to impose additional fine where article or currency is not available for confiscation.

25. Penalty for offences where no separate punishment has been provided.

26. Offences by companies.

27. Bar to the prosecution of offences under the Act.

28. Investigation into cases under the Act.

29. Protection of action taken in good faith.

30. Power to make rules.

31. Power to exempt.

32. Act not to apply to Government transactions.

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 49)

[31 मार्च, 1976]

संसदीय संस्थाओं, राजनीतिक संगमों और अकादमिक तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों का सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य का स्वीकार या उपयोग किया जाना विनियमित करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह निम्नलिखित को भी लागू होगा, अर्थात् :—

(क) भारत के बाहर भारत के नागरिक; और

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित कम्पनियों अथवा निगम निकायों के भारत के बाहर सहयुक्त, शाखा या समनुषंगी।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संगम" से व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम, चाहे वह निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है जिसका भारत में कार्यालय है और उसके अन्तर्गत कोई सोसाइटी, चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो तथा कोई अन्य संगठन भी है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो; (1860 का 21)

(ख) "निर्वाचन-अभ्यर्थी" से किसी विधानमंडल के लिए निर्वाचनार्थ अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "विदेशी अभिदाय" से किसी विदेशी स्रोत द्वारा निम्नलिखित का संदान, परिदान या अन्तरण अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) कोई वस्तु जो किसी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक प्रयोग के लिए दान के तौर पर दी गई वस्तु नहीं है, यदि ऐसी वस्तु का भारत में, उस दान की तारीख को बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) कोई करेन्सी चाहे वह भारतीय हो या विदेशी;

1973 का 46 (iii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (i) में यथापरिभाषित कोई विदेशी प्रतिभूति;

81-M/J(N)506MofLJ&CA—1(a)

(*d*) "foreign hospitality" means any offer, not being a purely casual one, made by a foreign source for providing a person with the costs of travel to any foreign country or territory or with free board, lodging, transport or medical treatment;

(*e*) "foreign source" includes—

(*i*) the Government of any foreign country or territory and any agency of such Government.

(*ii*) any international agency, not being the United Nations or any of its specialised agencies, the World Bank, International Monetary Fund or such other agency as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf,

(*iii*) a foreign company within the meaning of section 591 of the Companies Act, 1956, and also includes— 1 of 1956

(*a*) a company which is a subsidiary of a foreign company, and

(*b*) a multi-national corporation within the meaning of this Act,

(*iv*) a corporation, not being a foreign company, incorporated in a foreign country or territory,

(*v*) a multi-national corporation within the meaning of this Act,

(*vi*) a company within the meaning of the Companies Act, 1956, 1 of 1956 if more than one-half of the nominal value of its share capital is held either singly or in the aggregate, by one or more of the following, namely :—

(*a*) Government of a foreign country or territory,

(*b*) citizens of a foreign country or territory,

(*c*) corporations incorporated in a foreign country or territory,

(*d*) trusts, societies or other associations of individuals (whether incorporated or not), formed or registered in a foreign country or territory,

(*vii*) a trade union in any foreign country or territory, whether or not registered in such foreign country or territory.

(*viii*) a foreign trust by whatever name called, or a foreign foundation which is either in the nature of trust or is mainly financed by a foreign country or territory,

(*ix*) a society, club or other association of individuals formed or registered outside India,

(*x*) a citizen of a foreign country,

but does not include any foreign institution which has been permitted by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to carry on its activities in India;

(*f*) "Legislature" means—

(*i*) either House of Parliament,

(*ii*) the Legislative Assembly of a State, or in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of that State,

(*iii*) Legislative Assembly of a Union territory constituted under the Government of Union Territories Act, 1963, 20 of 1963

(घ) "विदेशी आतिथ्य" से किसी व्यक्ति को किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में यात्रा खर्चा अथवा निःशुल्क भोजन, आवास, परिवहन या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करने के लिए किसी विदेशी स्रोत द्वारा दिया गया आफर अभिप्रेत है जो कि मात्र आकस्मिक नहीं है;

(ङ) "विदेशी स्रोत" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(i) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार और ऐसी सरकार का कोई अभिकरण;

(ii) कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जो संयुक्त राष्ट्र या उसके किसी विशिष्ट अभिकरण, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य ऐसे अभिकरण से भिन्न है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

1956 का 1 (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अर्थ में कोई विदेशी कम्पनी और इसमें निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) किसी विदेशी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी; और

(ख) इस अधिनियम के अर्थ में बहुराष्ट्रीय निगम;

(iv) किसी विदेशी या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित कोई निगम जो विदेशी कम्पनी नहीं है ;

(v) इस अधिनियम के अर्थ में बहुराष्ट्रीय निगम;

1956 का 1 (vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में कोई कम्पनी यदि उसकी शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य का आधे से अधिक या तो अकेले या संकलित रूप में निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा धारित है, अर्थात् :—

(क) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकारें;

(ख) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र के नागरिक;

(ग) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित निगम;

(घ) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में बनाए गए या रजिस्टर कराए गए न्यास, सोसाइटियां या व्यष्टियों के अन्य संगम (चाहे निगमित हों या न हों);

(vii) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में कोई व्यवसाय संघ चाहे वह उस विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हो या न हो ;

(viii) कोई विदेशी न्यास चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अथवा कोई विदेशी प्रतिष्ठान जो या तो न्यास के प्रकार का है या मुख्य रूप से किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र द्वारा वित्तपोषित है;

(ix) कोई सोसाइटी, क्लब या व्यष्टियों का अन्य संगम जो भारत के बाहर बनाया गया है या रजिस्टर किया गया है;

(x) किसी विदेश का नागरिक;

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी विदेशी संस्था नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में अपने क्रियाकलाप करने की अनुज्ञा दी है;

(च) "विधानमंडल" से अभिप्रेत है, यथास्थिति—

(i) संसद् के दोनों सदनों में से कोई सदन;

(ii) किसी राज्य की विधान सभा अथवा ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद् भी है, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई सदन;

1963 का 20 (iii) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन गठित किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा;

(*iv*) the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966, 19 of 1966

(*v*) Municipal Corporations in metropolitan areas as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973, 2 of 1974

(*vi*) District Councils and Regional Councils in the States of Assam and Meghalaya and in the Union Territory of Mizoram as provided in the Sixth Schedule to the Constitution, or

(*vii*) any other elective body as may be notified by the Central Government,

as the case may be;

(*g*) "political party" means an association or body of individual citizens of India which is, or is deemed to be, registered with the Election Commission of India as a political party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as in force for the time being;

(*h*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*i*) "registered newspaper" means a newspaper registered under the Press and Registration of Books Act, 1867; 25 of 1867

(*j*) "subsidiary" and "associate" have the meanings, repectively, assigned to them in the Companies Act, 1956; 1 of 1956

(*k*) "trade union" means a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926. 16 of 1926

Explanation.—For the purposes of this Act, a corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be a multi-national corporation if such corporation—

(*a*) has a subsidiary or a branch or a place of business in two or more countries or territories; or

(*b*) carries on business, or otherwise operates, in two or more countries or territories.

(*2*) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, have the meanings respectively assigned to them in that Act. 46 of 1973

(*3*) Words and expression used herein and not defined in this Act or in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the Representation of the People Act, 1951, have the meanings respectively assigned to them in such Act. 46 of 1973, 43 of 1950, 43 of 1951

Application of other laws not barred.

3. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

CHAPTER II

REGULATION OF FOREIGN CONTRIBUTION AND FOREIGN HOSPITALITY

Candidate for election, etc., not to accept foreign contribution.

4. (*1*) No foreign contribution shall be accepted by any—

(*a*) candidate for election,

(*b*) correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner, printer or publisher of a registered newspaper,

(*c*) Government servant or employee of any corporation,

(*d*) member of any Legislature,

(*e*) political party or office-bearer thereof.

1966 का 19 (iv) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली की महानगर परिषद् ;

1974 का 2 (v) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथापरिभाषित महानगर क्षेत्रों में नगर निगम;

(vi) असम और मेघालय राज्यों में तथा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची में यथा उपबन्धित जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें;

(vii) कोई अन्य निर्वाचित निकाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(छ) "राजनीतिक दल" से भारत के विभिन्न नागरिकों का कोई संगम या निकाय अभिप्रेत है जो उस समय प्रवृत्त निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझा जाता है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1867 का 25 (झ) "रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र" से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समाचारपत्र अभिप्रेत है ;

19[illegible] का 1 (ञ) "समनुषंगी" और "सहयुक्त" के वे ही अर्थ हैं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में हैं ;

1926 का 16 (ट) "व्यवसाय संघ" से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण--किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित किसी निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बहुराष्ट्रीय निगम समझा जाएगा यदि--

(क) ऐसे निगम का दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कोई समनुषंगी, या कोई शाखा या कोई कारबार का स्थान है; या

(ख) ऐसा निगम दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कारबार करता है या अन्यथा क्रियाशील है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

1973 का 46

1973 का 46
1950 का 43
1951 का 43

(3) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में परिभाषित नहीं हैं किन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम म हैं ।

3. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकारक । अन्य विधियों का लागू होने से वर्जित न होना ।

अध्याय 2

विदेश अभिदाय और विदेशी आतिथ्य का विनियमन

4. (1) कोई भी विदेशी अभिदाय निम्नलिखित में से किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात् :-- निर्वाचन-अभ्यर्थी आदि का विदेशी अभिदाय को स्वीकार न करना ।

(क) निर्वाचन-अभ्यर्थी,

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र का संवाददाता, स्तम्भ लेखक, व्यंग चित्रकार, सम्पादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक ;

(ग) सरकारी सेवक या किसी निगम का कर्मचारी ;

(घ) किसी विधानमंडल का सदस्य ;

(ङ) राजनीतिक दल या उसका पदधारी ।

Explanation.—In case (*c*) and in section 9, "corporation" means a corporation owned or controlled by Government and includes a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956. 1 of 1956

(*2*) (*a*) No person, resident in India, and no citizen of India resident outside India, shall accept any foreign contribution, or acquire or agree to acquire any currency from a foreign source, on behalf of any political party, or any person referred to in sub-section (*1*), or both.

(*b*) No person, resident in India, shall deliver any currency whether Indian or foreign, which has been accepted from any foreign source, to any person if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to any political party or any person referred to in sub-section (*1*), or both.

(*c*) No citizen of India resident outside India shall deliver any currency, whether Indian or foreign which has been accepted from any foreign source to—

(*i*) any political party or any person referred to in sub-section (1), or both, or

(*ii*) any other person, if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to a political party or to any person referred to in sub-section (*1*), or both.

(*3*) No person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source on behalf of any association, referred to in sub-section (*1*) of section 6, shall deliver such currency—

(*i*) to any association or organisation other than the association for which it was received, or

(*ii*) to any other person, if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to an association other than the association for which such currency was received.

Organisation of a political nature not to accept foreign contribution except with the prior permission of the Central Government.

5. (*1*) No organisation of a political nature, not being a political party, shall, accept any foreign contribution except with the prior permission of the Central Government.

Explanation.—For the purposes of this section, "organisation of a political nature, not being a political party" means such organisation as the Central Government may, having regard to the activities of the organisation or the ideology propagated by the organisation or the programme of the organisation or the association of the organisation with the activities of any political party, by an order published in the Official Gazette, specify in this behalf.

(*2*) (*a*) Except with the prior permission of the Central Government, no person, resident in India, and no citizen of India, resident outside India, shall accept any foreign contribution, or acquire or agree to acquire any foreign currency, on behalf of an organisation referred to in sub-section (*1*).

(*b*) Except with the prior permission of the Central Government, no person, resident in India, shall deliver any foreign currency to any person if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to an organisation referred to in sub-section (*1*).

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) में और धारा 9 में "निगम" से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम अभिप्रेत है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी इसके अन्तर्गत है। 1956 का 1

(2) (क) कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी है और भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है किसी राजनीतिक दल अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की ओर से या दोनों की ओर से किसी विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा अथवा कोई करेन्सी अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का करार नहीं करेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी है, भारतीय या विदेशी किसी करेन्सी का, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, किसी भी व्यक्ति को परिदान नहीं करेगा यदि वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय उस करेन्सी का परिदान किसी राजनीतिक दल अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या दोनों को रना है या उसके ऐसा करने की सम्भावना है।

(ग) भारत के बाहर निवासी भारत का कोई नागरिक भारतीय या विदेशी किसी भी करेन्सी का, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, निम्नलिखित को परिदान नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) कोई राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा दोनों; या

(ii) कोई अन्य व्यक्ति, यदि ऐसा नागरिक यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय ऐसी करेन्सी का किसी राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या दोनों को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की सम्भावना है।

(3) कोई व्यक्ति जो भारतीय या विदेशी किसी भी करेन्सी को धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संगम की ओर से किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करता है, उस करेन्सी का—

(i) किसी ऐसे संगम से भिन्न किसी संगम या संगठन को परिदान नहीं करेगा, जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी ; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को उस दशा में परिदान नहीं करेगा यदि वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे व्यक्ति का आशय ऐसी करेन्सी का उस संगम से भिन्न किसी संगम को परिदान करना है जिसके लिए वह करेन्सी प्राप्त की गई थी, या उसके ऐसा करने की सम्भावना है।

राजनीतिक प्रकार के संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार न किया जाना।

5. (1) राजनीतिक प्रकार का कोई संगठन जो राजनीतिक दल नहीं है, किसी भी प्रकार का विदेशी अभिदाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राजनीतिक प्रकार का कोई संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है," से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार उस संगठन के क्रियाकलापों अथवा उस संगठन द्वारा प्रचारित विचारधारा, अथवा उस संगठन के कार्यक्रम, अथवा किसी राजनीतिक दल के क्रियाकलापों से उस संगठन के सहयोजन को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) (क) कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है और भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संगठन की ओर से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा या कोई विदेशी करेन्सी अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का करार नहीं करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है, किसी विदेशी करेन्सी का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को परिदान नहीं करेगा यदि वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय, ऐसी करेन्सी का उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की संभावना है।

(c) Except with the prior approval of the Central Government, no citizen of India, resident outside India, shall deliver any currency, whether Indian or foreign, which has been accepted from any foreign source, to—

(*i*) any organisation referred to in sub-section (*1*), or

(*ii*) any person, if he knows or has reasonable cause to believe that such person intends, or is likely, to deliver such currency to an organisation referred to in sub-section (*1*).

Certain associations and persons receiving foreign contribution to give intimation to the Central Government.

6. (*1*) Every association [not being an organisation referred to in sub-section (*1*) of section 5] having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such foreign contribution was received and the purposes for which and the manner in which, such foreign contribution was utilised by it.

(*2*) Every candidate for election, who had received any foreign contribution, at any time within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate, shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of foreign contribution received by him, the source from which and the manner in which such foreign contribution was received and the purposes for which, and the manner in which, such foreign contribution was utilised by him.

Recipients of scholarships, etc., to give intimation to the Central Government.

7. (*1*) Every citizen of India receiving any scholarship, stipend or any payment of a like nature from any foreign source shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of the scholarship, stipend or other payment received by him and the foreign source from which, and the purpose for which, such scholarship, stipend or other payment has been, or is being, received by him.

(*2*) Where any recurring payments are being received by any citizen of India from any foreign source by way of scholarship, stipend or other payment, it shall be sufficient if the intimation referred to in sub-section (*1*) includes a precise information as to the intervals at which, and the purpose for which, such recurring payments will be received by such citizen of India.

(*3*) It shall not be necessary to give such intimation as is referred to in sub-section (*1*) or sub-section (*2*) in relation to scholarships, stipends or payments of a like nature, if the annual value of such scholarships, stipends or other payments does not exceed such limits as the Central Government may, by rules made under this Act, specify in this behalf.

Persons to whom section 4 shall not apply.

8. Nothing contained in section 4 shall apply to the acceptance, by any person specified in that section, of any foreign contribution, where such contribution is accepted by him, subject to the provisions of section 10,—

(*a*) by way of salary, wages or other remuneration due to him or to any group of persons working under him, from any foreign source or by way of payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source; or

(*b*) by way of payment, in the course of international trade or commerce, or in the ordinary course of business transacted by him outside India; or

(*c*) as an agent of a foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with Government; or

(*d*) by way of a gift or presentation made to him as a member of any Indian delegation, provided that such gift or present was accepted in accordance with the regulations made by the Central Government with regard to the acceptance or retention of such gift or presentation, or

(ग) भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है भारतीय या विदेशी किसी करेन्सी का जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित को परिदान नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संगठन, या

(ii) कोई व्यक्ति, ऐसा नागरिक यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे व्यक्ति का आशय ऐसी करेन्सी का उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की सम्भावना है।

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले कुछ संगमों और व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना देना।

6. (1) निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला प्रत्येक संगम [जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन नहीं है] इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना देगा कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, ऐसा विदेशी अभिदाय किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त किया है तथा उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से प्रयोग किया है।

(2) प्रत्येक निर्वाचन-अभ्यर्थी जिसने उस तारीख से, जिसको वह ऐसे अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशित किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी समय कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बात की सूचना देगा कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, ऐसा विदेशी अभिदाय किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त किया है और उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से प्रयोग किया है।

छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने वालों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना देना।

7. (1) भारत का प्रत्येक नागरिक जो किसी विदेशी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय प्राप्त करता है, इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना देगा कि उसने कितनी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या कितना अन्य संदाय प्राप्त किया है और उसने ऐसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अन्य संदाय किस विदेशी स्रोत से और किस प्रयोजन के लिए प्राप्त किया है या वह प्राप्त कर रहा है।

(2) जहां भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी स्रोत से छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अन्य संदाय के रूप में कोई आवर्ती संदाय प्राप्त किए जा रहे हैं वहां यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में इस बाबत ठीक-ठीक जानकारी अन्तर्विष्ट है कि भारत के ऐसे नागरिक को ऐसे आवर्ती संदाय कितने अन्तरालों में और किस प्रयोजन के लिए प्राप्त होंगे तो यह पर्याप्त होगा।

(3) छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या इसी प्रकार के संदायों के बारे में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसी छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या अन्य संदायों का वार्षिक मूल्य उन सीमाओं से अधिक नहीं है जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

व्यक्ति जिनको धारा 4 लागू नहीं होगी।

8. धारा 4 की कोई बात उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने के बारे में उस दशा में लागू नहीं होगी यदि उसके द्वारा ऐसा अभिदाय, धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

(क) उसे या उसके अधीन काम कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह को प्राप्य वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के रूप में किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार किया जाता है या ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा भारत में किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है ; या

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है ; या

(ग) किसी विदेशी स्रोत द्वारा सरकार के साथ किए गए किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में उस विदेशी स्रोत के अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है ; या

(घ) किसी भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में उसे दिए गए किसी दान या उपहार के रूप में स्वीकार किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा दान या उपहार केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे दान या उपहार को स्वीकार करने या अपने पास रखने के बारे में बनाए गए नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया है ; या

(e) from his relative when such foreign contribution has been received with the previous permission of the Central Government :

Provided that no such permission shall be required if the amount of foreign contribution received by him from his relative does not exceed, in value, eight thousand rupees per annum and an intimation is given by him to the Central Government as to the amount received, the source from which and the manner in which it was received and the purpose for which and the manner in which it was utilised by him;

(*f*) by way of remittance received, in the ordinary course of business, through any official channel, post office, or any authorised dealer in foreign exchange under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. 46 of 1973

Explanation.—In this Act, the expression "relative" has the meaning assigned to it in the Companies Act, 1956. 1 of 1956

Restrictions on acceptance of foreign hospitality.

9. No member of a Legislature, office-bearer of a political party, Government servant or employee of any corporation shall, while visiting any country or territory outside India, accept, except with the prior permission of the Central Government, any foreign hospitality :

Provided that it shall not be necessary to obtain any such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness contracted during a visit outside India but, where such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall give, within one month from the date of receipt of such hospitality, an intimation to the Central Government as to the receipt of such hospitality and the source from which, and the manner in which, such hospitality was received by him.

Power of Centaral Government to prohibit receipt of foreign contribution, etc., in certain eases.

10. The Central Government may—

(*a*) prohibit any association, not specified in section 4, or any person, from accepting any foreign contribution;

(*b*) require any association, specified in section 6, to obtain prior permission of the Central Government before accepting any foreign contribution;

(*c*) require any person or class of persons or any association, not being an association specified in section 6, to furnish intimation within such time and in such manner as may be prescribed as to the amount of any foreign contribution received by such person or class of persons or association, as the case may be, and the source from which and the manner in which such contribution was received and the purpose for which and the manner in which such foreign contribution was utilised;

(*d*) require any person or class of persons, not specified in section 9, to obtain prior permission of the Central Government before accepting any foreign hospitality;

(*e*) require any person or class of persons, not specified in section 9, to furnish intimation, within such time and in such manner as may be prescribed, as to the receipt of any foreign hospitality, the source from which and the manner in which such hospitality was received :

Provided that no such prohibition or requirement shall be made unless the Central Government is satisfied that the acceptance of foreign contribution by such association or person or class of persons, as the case may be, the acceptance of foreign hospitality by such person, is likely to affect prejudicially—

(*i*) the sovereignty and integrity of India; or

(*ii*) the public interest; or

(*iii*) freedom or fairness of election to any Legislature; or

(*iv*) friendly relations with any foreign State; or

(*v*) harmony between religious, racial, linguistic or regional groups, castes or communities.

(ङ) अपने नातेदार से उस दशा में स्वीकार किया जाता है जब ऐसा विदेशी अभिदाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से प्राप्त किया गया है :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में आवश्यक नहीं होगी जब अपने नातेदार से उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम आठ हजार रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना दी जाती है कि उसने कितनी रकम प्राप्त की है, किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त की है तथा उसके द्वारा उसका किस प्रयोजन के लिए और किस रीति से प्रयोग किया गया है ;

1973 का 46 (च) कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी सरकारी माध्यम, डाकघर या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत व्यवहारी से विप्रेषण के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

1956 का 1 **स्पष्टीकरण**–इस अधिनियम में "नातेदार" पद का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में है ।

विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने पर निर्बन्धन ।

9. किसी विधानमण्डल का कोई सदस्य, किसी राजनीतिक दल का कोई पदधारी, कोई सरकारी सेवक या किसी निगम का कोई कर्मचारी भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु भारत के बाहर यात्रा के दौरान आकस्मिक रुग्णता के कारण आवश्यक तात्कालिक चिकित्सीय सहायता के लिए ऐसी अनुज्ञा अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु जब ऐसा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया गया है तब उसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने की तारीख से एक मास के अन्दर केन्द्रीय सरकार को ऐसा आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देगा कि उसने ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति से स्वीकार किया है ।

केन्द्रीय सरकार की कुछ मामलों में विदेशी अभिदाय आदि प्राप्त करने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

10. केन्द्रीय सरकार—

(क) किसी संगम की जो धारा 4 में विनिर्दिष्ट नहीं है अथवा किसी व्यक्ति को कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(ख) किसी संगम से जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट है, कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से अथवा किसी संगम से जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट संगम नहीं है, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, इस बारे में सूचना दे कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों या, यथास्थिति, ऐसे संगम ने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है और किस स्रोत से तथा किस रीति से प्राप्त किया है और ऐसे विदेशी अभिदाय का किस प्रयोजन के लिए और किस रीति से प्रयोग किया गया है ;

(घ) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से जो धारा 9 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ङ) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जो धारा 9 में विनिर्दिष्ट नहीं है, इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति से स्वीकार किया गया है :

परन्तु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे संगम या ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, अर्थात् :—

(i) भारत की प्रभुता और अखण्डता ; या

(ii) लोक हित ; या

(iii) किसी विधानमंडल के लिए निर्वाचन की स्वतन्त्रता या निष्पक्षता ; या

(iv) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ; या

(v) धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच मेलजोल ।

Application to be made in prescribed form for obtaining prior permission to accept foreign contribution or hospitality.

11. (*1*) Every individual, association, organisation or other person, who is required by or under this Act to obtain the prior permission of the Central Government to accept any foreign contribution or foreign hospitality, shall, before the acceptance of any such contribution or hospitality, make an application for such permission to the Central Government in such form and in such manner as may be prescribed.

(*2*) If an application referred to in sub-section (*1*) is not disposed of within ninety days from the date of receipt of such application the permission prayed for in such application shall, on the expiry of the said period of ninety days, be deemed to have been granted by the Central Government:

Provided that, where, in relation to an application, the Central Government has informed the applicant the special difficulties by reason of which his application cannot be disposed of within the said period of ninety days, such application shall not, until the expiry of a further period of thirty days, be deemed to have been granted by the Central Government.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

Power to prohibit payment of currency received in contravention of the Act.

12. Where the Central Government is satisfied, after making such inquiry as it may deem fit, that any person has in his custody or control any article or currency, whether Indian or foreign which has been accepted by such person in contravention of any of the provisions of this Act, it may, by order in writing, prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing with, in any manner whatsoever, such article or currency save in accordance with the written orders of the Central Government and a copy of such order shall be served upon the person so prohibited in the prescribed manner, and thereupon the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 7 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 shall, so far as may be, apply to, or in relations to, such article or currency and references in the said sub-sections to moneys, securities or credits shall be construed as references to such article or currency. 37 of 1967

* * * * *

Recipients of foreign contribution to maintain accounts etc.

13. Every association, referred to in section 6, shall maintain, in such form and in such manner as may be prescribed,—

(*a*) an account of any foreign contribution received by it, and

(*b*) a record as to the manner in which such contribution has been utilised by it.

Inspection of accounts or records

14. If the Central Government has, for any reason, to be recorded in writing, any ground to suspect that any provision of this Act has been, or is being, contravened by—

(*a*) any political party, or

(*b*) any person, or

(*c*) any organisation, or

(*d*) any association,

it may, by general or special order, authorise such gazetted officer, holding a class I post, as it may think fit (hereinafter referred to as the authorised officer), to inspect any account or rerord maintained by such political party, person, organisation or association, as the case may be, and thereupon every such authorised officer shall have the right to enter in or upon any premises at any reasonable hour, before sunset and after sunrise, for the purpose of inspecting the said account or record:

Provided that no gazetted officer shall be authorised to inspect the account or record maintained by a political party, unless he has been holding a class I post in connection with the affairs of the Union, or a State, for not less than ten years.

11. (1) प्रत्येक व्यष्टि, संगम, संगठन या अन्य व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यह अपेक्षा की गई है कि वह कोई विदेशी अभिदाय या किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करे, ऐसे किसी अभिदाय या आतिथ्य को स्वीकार करने से पूर्व ऐसी अनुज्ञा के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा। विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए विहित प्ररुप में आवेदन किया जाना।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदक को उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं निपटा दिया जाता तो वह अनुज्ञा जिसके लिए ऐसे आवेदन में निवेदन किया गया है, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई समझी जाएगी :

परन्तु यदि किसी आवेदन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने आवेदन को उन विशेष कठिनाइयों की सूचना दे दी है जिनके कारण उसके आवेदन को नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं निपटाय जा सकता है तो ऐसा आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक तीस दिन की अतिरिक्त अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

12. जहां केन्द्रीय सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझती है यह समाधान हो जाता है कि भारतीय या विदेशी कोई वस्तु या करेन्सी, जिसे किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके स्वीकार किया है, उसकी अभिरक्षा या नियन्त्रण में है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति की वस्तु या करेन्सी का संदाय, परिदान, अन्तरण या उसके सम्बन्ध में कोई भी अन्य कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेशों के बिना करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर विहित रीति से तामील की जाएगी जिसे प्रतिषिद्ध किया गया है, और तब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 7 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध, जहां तक हो सके ऐसी वस्तु या करेन्सी को या उसके सम्बन्ध में लागू होंगे और उक्त उप-धाराओं में धनों, प्रतिभूतियों या पावनों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसी वस्तु या करेन्सी के प्रति निर्देश हैं। अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त करेन्सी का संदाय प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। 1967 का 37

* * * * * * * *

13. धारा 6 में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए— विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वालों द्वारा लेखाओं आदि का रखा जाना।

(क) किसी विदेशी अभिदाय का जो उसने प्राप्त किया है, लेखा रखेगा ; और

(ख) उस अभिदाय का जिस रीति से उसने प्रयोग किया है उसका अभिलेख रखेगा।

14. यदि केन्द्रीय सरकार के पास किसी कारण से, जो लेखबद्ध किया जाएगा, यह सन्देह करने का आधार है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का— लेखाओं या अभिलेखों का निरीक्षण।

(क) किसी राजनीतिक दल द्वारा, या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, या

(ग) किसी संगठन द्वारा, या

(घ) किसी संगम द्वारा,

उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वर्ग 1 पद धारण करने वाले ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जिसे वह ठीक समझे (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) यथास्थिति, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या संगम द्वारा रखे गए लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और तब प्रत्येक ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को उक्त लेखा या अभिलेख का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सूर्यास्त से पूर्व और सूर्योदय के पश्चात् किसी भी उचित समय पर किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी राजनीतिक दल द्वारा रखे गए लेखा या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को ही प्राधिकृत किया जाएगा जिसने संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में कम से कम दस वर्ष तक वर्ग 1 पद धारण किया है।

Seizure of accounts or records.

15. If, after inspection of an account or record referred to in section 14 the authorised officer has any reasonable cause to believe that any provision of this Act or of any other law relating to foreign exchange has been, or is being, contravened, he may seize such account or record and produce the same before the court in which any proceeding is brought for such contravention :

Provided that the authorised officer shall return such account or record to the person from whom it was seized if no proceeding is brought within six months from the date of such seizure for the contravention disclosed by such account or record.

Seizure of article or currency received in contravention of the Act.

16. If any gazetted officer, authorised in this behalf by the Central Government, by general or special order, has any reason to believe that any person has in his possession or control any article exceeding rupees one thousand in value, or currency, whether Indian or foreign, in relation to which any provision of this Act has been, or is being, contravened, he may seize such article or currency.

Seizure to be made in accordance with the Code of Criminal Procedure, 1973.

17. Every seizure made under this Act shall be made in accordance with the provision of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973. 2 of 1974

Confiscation of article or currency obtained in contravention of the Act.

18. Any article or currency which is seized under section 16 shall be liable to confiscation if such article or currency has been adjudged under section 19 to have been received or obtained in contravention of this Act.

Adjudication of confiscation.

19. Any confiscation referred to in section 18 may be adjudged—

(*a*) without limits, by the Court of Session within the local limits of whose jurisdiction the seizure was made ; and

(*b*) subject to such limits as may be prescribed ,by such officer not below the rank of an Assistant Sessions Judge, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

Opportunity to be given before adjudication of confiscation.

20. No order of adjudication of confiscation shall be made unless a reasonable opportunity of making a representation against such confiscation has been given to the person from whom any article or currency has been seized.

Appeal.

21. (*1*) Any person aggrieved by any order made under section 19 may prefer an appeal,—

(*a*) where the order has been made by the Court of Session, to the High Court to which such Court is subordinate; or

(*b*) where the order has been made by any officer specified under clause (*b*) of section 19, to the Court of Session within the local limits of whose jurisdiction such order of adjudication of confiscation was made,

within one month from the date of communication to such person of the order :

Provided that the appellate court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of one month, allow such appeal to be preferred within a further period of one month, but not thereafter.

(*2*) Any organisation referred to in section 5, or any person or association referred to in section 9 or section 10, aggrieved by an order made in pursuance of the Explanation to sub-section (1) of section 5 or by an order of the Central Government refusing to give permission, or by any order made by the Central Government, under section 5 or section 9 or section 10, as the case may be, may within sixty days from the date of such order prefer an appeal against such order to the High Court within the local limits of whose jurisdiction the appellant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, or, where the appellant is an organisation or association, the principal office of such organisation or association is located.

15. धारा 14 में निर्दिष्ट लेख या अभिलेख का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई उचित कारण है कि इस अधिनियम का या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे लेखे या अभिलेख को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें ऐसे उल्लंघनों के लिए कोई कार्यवाही की जाती है :

परन्तु यदि ऐसे लेखे या अभिलेख से प्रकट उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही अभिग्रहण की तारीख से छह मास के भीतर नहीं चलाई जाती है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे लेखे या अभिलेख को उस व्यक्ति को वापिस कर देगा जिससे वह अभिगृहीत किया गया था।

लेखाओं या अभिलेखों का अभिग्रहण।

16. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियन्त्रणाधीन एक हजार रुपए से अधिक मूल्य की कोई वस्तु या करेन्सी है, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसी वस्तु या करेंसी का अभिग्रहण कर सकेगा।

अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त वस्तु या करेन्सी का अभिग्रहण।

1974 का 2

17. इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अभिग्रहण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

अभिग्रहण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किया जाएगा।

18. कोई वस्तु या करेन्सी, जिसका धारा 16 के अधीन अभिग्रहण किया गया है, उस दशा में अधिहरणीय होगी जब ऐसी वस्तु या करेन्सी के बारे में धारा 19 के अधीन यह न्यायनिर्णयन किया जाता है कि वह इस अधिनियम का उल्लंघन करके प्राप्त या अभिप्राप्त की गई है।

अधिनियम के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या करेन्सी का अधिहरण।

19. धारा 18 में निर्दिष्ट किसी अधिग्रहण का न्यायनिर्णयन—

(क) किसी प्रकार की सीमा के बिना उस सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिहरण किया गया था ; और

(ख) ऐसी सीमाओं के अधीन, जैसी विहित की जाएं, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अधिहरण का न्यायनिर्णयन।

20. अधिहरण के न्यायनिर्णयन का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जिससे किसी वस्तु या करेन्सी का अभिग्रहण किया गया है, ऐसे अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

अधिहरण के न्यायनिर्णयन से पूर्व अवसर दिया जाना।

21. (1) धारा 19 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसे ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर निम्नलिखित को अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

अपील।

(क) जहां वह आदेश सेशन न्यायालय द्वारा किया गया है वहां उस उच्च न्यायालय को, जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है ; या

(ख) जहां आदेश द्वारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है वहां उस सेशन न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे अधिहरण के न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया था :

परन्तु यदि अपील न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी एक मास की उक्त अवधि के भीतर अपील करने से उचित कारणों से निवारित हो गया था तो वह ऐसी अपील एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

(2) धारा 5 में निर्दिष्ट कोई संगठन या धारा 9 अथवा 10 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगम जो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अनुसरण में किए गए किसी आदेश से अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति धारा 5 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपीलार्थी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है अथवा वैयक्तिक रूप से अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है अथवा अपीलार्थी के संगठन या संगम होने की दशा में ऐसे संगठन या संगम का मुख्य कार्यालय स्थित है।

(*3*) Every appeal preferred under this section shall be deemed to be an appeal from an original decree and the provisions of Order XLI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, shall, as far as may be, apply thereto as they apply to an appeal from an original decree. 5 of 1908

Penalty for article or currency obtained in contravention of section 12.

22. If any person, on whom any prohibitory order has been served under section 12, pays, delivers, transfers or otherwise deals with, in any manner whatsoever, any article or currency, whether Indian or foreign, in contravention of such prohibitory order, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the court trying such contravention may also impose on the person convicted an additional fine equivalent to the market value of the article or the amount of the currency in respect of which the prohibitory order has been contravened by him or such part thereof as the court may deem fit. 2 of 1974

Punishment for the contravention of any provision of the Act.

23. (*1*) Whoever accepts, or assists any person, political party or organisation in accepting, any foreign contribution or any currency from a foreign source, in contravention of any provision of this Act or any rule made thereunder, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

(*2*) Whoever accepts any foreign hospitality in contravention of any provision of this Act or any rule made thereunder shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Power to impose additional fine where article or currency is not available for confiscation.

24. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the Court trying a person, who, in relation to any article or currency, whether Indian or foreign, does or omits to do any act which act or omission would render such article or currency liable to confiscation under this Act, may, in the event of the conviction of such person for the act or omission aforesaid, impose on such person a fine not exceeding five times the value of the article or currency or one thousand rupees, whichever is more, if such article or currency is not available for confiscation, and the fine so imposed shall be in addition to any other fine which may be imposed on such person under this Act. 2 of 1974

Penalty for offences where not separate punishment has been provided.

25. Whoever fails to comply with any provision of this Act for which no separate penalty has been provided in this Act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both.

Offences by companies.

26. (*1*) Where an offence under this Act or any rule made thereunder has been committed by a company, every person who, at the time the offence was, committed, was in charge of, was responsible to, the company for the conduct of the business of the campany, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act or any rule made thereunder has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm, society, trade union or other association of individuals; and

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील मूल डिक्री से की गई अपील समझी जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के उपबन्ध, जहां तक सम्भव हो उसे उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल डिक्री की अपील को लागू होते हैं। (1908 का 5)

धारा 12 के उल्लंघन में अभिप्राप्त की गई वस्तु या करेंसी के लिए शास्ति।

22. यदि कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 12 के अधीन किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की गई है, किसी वस्तु या करेंसी का, चाहे भारतीय हो या विदेशी, ऐसे प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करके संदाय करेगा, परिदान करेगा, अन्तरण करेगा या उसके सम्बन्ध में कोई भी अन्य कार्रवाई करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय सिद्धदोष व्यक्ति पर इतना अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा जितना उस वस्तु के बाजार मूल्य के या उस करेंसी की रकम के जिस के सम्बन्ध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उसने उल्लंघन किया है, बराबर हो या उसके इतने भाग के बराबर हो जितना न्यायालय ठीक समझे। (1974 का 2)

अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए दण्ड।

23. (1) जो कोई इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभिदाय या कोई करेंसी स्वीकार करेगा अथवा उसे स्वीकार करने में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन की, सहायता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

जहां वस्तु या करेंसी अधिहरण के लिए प्राप्य न हो वहां अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति।

24. जो व्यक्ति किसी वस्तु या करेंसी के, चाहे भारतीय हो या विदेशी सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करेगा या उसे करने में लोप करेगा जो कार्य या लोप ऐसी वस्तु या करेंसी को इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय बना देगा तो उस व्यक्ति का विचारण करने वाला न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त कार्य या लोप के लिए ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि पर, यदि ऐसी वस्तु या करेंसी अधिहरण के लिए प्राप्य नहीं है, उस व्यक्ति पर इतना जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जितना उस वस्तु या करेंसी के मूल्य के पांच गुने से या एक हजार रुपए से, इनमें से जो भी अधिक हो उससे अधिक न हो, और इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना ऐसे किसी अन्य जुर्माने के अतिरिक्त होगा जो ऐसे व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है। (1974 का 2)

जिन अपराधों के लिए अलग से दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है उनके लिए शास्ति।

25. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का जिसके लिए अलग से शासित का उपबन्ध नहीं किया गया है अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

26. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(*b*) "director" in relation to a firm, society, trade union or other association of individuals, means a partner in the firm or a member of the governing body of such society, trade union or other association of individuals.

Bar to the prosecution of offences under the Act.

27. No court shall take cognizance of any offence under this Act, except with the previous sanction of the Central Government or any officer authorised by that Government in this behalf.

Investigation into cases under the Act.

28. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act may also be investigated into by such authority as the Central Government may specify in this behalf and the authority so specified shall have all the powers which an officer-in-charge of a police station has while making an investigation into a cognizable offence. **2 of 1974**

Protection of action taken in good faith.

29. No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or, any rule or order made thereunder.

Power to make rules.

30. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(*a*) the time within which, and the manner in which, intimation is to be given by an association referred to in section 6, with regard to the foreign contributions received by it;

(*b*) the limits up to which receipt of scholarships, stipends or payments of a like nature need not be intimated to the Central Government;

(*c*) the time within which, and the manner in which, intimation is to be given by persons receiving any scholarship, stipend or any payment of a like nature from a foreign source;

(*d*) the time within which, and the manner in which a candidate for election should give intimation as to the amount of foreign contribution received by him at any time within one hundred and eighty days from the date when he became such candidate;

(*e*) the form and manner in which an application shall be made for obtaining prior permission of the Central Government to receive foreign contribution or foreign hospitality;

(*f*) the manner of service of the prohibitory order made under section 12;

(*g*) the form and manner in which account or record referred to in section 13 shall be maintained;

(*h*) the limits up to which an officer ,not below the rank of an Assistant Sessions Judge, may make adjudication of confiscation;

(*i*) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both House agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(ख) फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों के अन्य संगम के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार या ऐसी सोसाइटी, व्यवसाय संघ अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम का सदस्य अभिप्रेत है।

27. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन का वर्जन।

1974 का 2 28. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त होती हैं। अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण।

29. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाही के लिए संरक्षण।

30. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने के शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 6 में निर्दिष्ट किसी संगम द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में उसके द्वारा सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह सीमा जिस तक प्राप्त की गई छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या उसी प्रकार के संदायों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देना आवश्यक नहीं होगा ;

(ग) वह सीमा जिसके भीतर और वह रीति जिससे कोई छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसकी सूचना दी जाएगी ;

(घ) वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे किसी निर्वाचन-अभ्यर्थी को विदेशी अभिदाय की उस रकम के बारे में सूचना देनी होगी जो उसने उस तारीख से जिसको वह ऐसे अभ्यर्थी हुआ है एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी समय प्राप्त की हो ;

(ङ) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(च) धारा 12 के अधीन दिए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की रीति ;

(छ) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें धारा 13 में निर्दिष्ट लेखा या अभिलेख रखे जाएंगे ;

(ज) वे सीमाएं जिन तक कोई अधिकारी, जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, अधिहरण का न्यायनिर्णयन कर सकेगा ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Power to exempt.

31. If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient in the interests of the general public so to do, it may, by order and subject to such conditions as may be specified in the order, exempt any association (not being a political party), organisation or any individual (not being a candidate for election) from the operation of all or any of the provisions of this Act and may, as often as may be necessary, revoke or modify such order.

Act not to apply to Government transactions.

32. Nothing contained in this Act shall apply to any transaction between the Government of India and the Government of any foreign country or territory.

14

छूट देने की शक्ति।

31. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि किसी संगम (जो राजनीतिक दल नहीं है), संगठन या किसी व्यक्ति को (जो निर्वाचन-अभ्यर्थी नहीं है) इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी के प्रवर्तन से छूट दी जाए तो वह, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, वैसा कर सकेगी, और जब-जब आवश्यक हो ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगी।

अधिनियम का सरकारी संव्यवहारों को लागू न होना।

32. इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार और किसी विदेश या विदेशी राज्य क्षेत्र की सरकार के बीच हुए किसी संव्यवहार को लागू नहीं होगी।

81-L/J(N) 506 MofLJ&CA—1,500—2-2-83—GIPS

धाराओं का क्रम

धाराएं		पृष्ठ
19.	अधिहरण का न्यायनिर्णयन	8
20.	अधिहरण के न्यायनिर्णयन से पूर्व अवसर दिया जाना	8
21.	अपील	8
22.	धारा 12 के उल्लंघन में अभिप्राप्त की गई वस्तु या करेंसी के लिए शास्ति	9
23.	अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए दण्ड	9
24.	जहां वस्तु या करेंसी अधिहरण के लिए प्राप्य न हो वहां अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति	9
25.	जिन अपराधों के लिए अलग से दण्ड का उपबन्ध नहीं किया गया है उनके लिए	9
26.	शास्ति कम्पनियों द्वारा अपराध	9
27.	अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन का वर्जन	10
28.	अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण	10
29.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	10
30.	नियम बनाने की शक्ति	10
31.	छूट देने की शक्ति	11
32.	अधिनियम का सरकारी संव्यवहारों को लागू न होना	11

THE FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) ACT, 1976

[ACT NO. 49 OF 1976]

[31*st March*, 1976]

An Act to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or foreign hospitality by certain persons or associations, with a view to ensuring that parliamentary institutions, political associations and academic and other voluntary organisations as well as individuals working in the important areas of national life may function in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic, and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent, application and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

(*2*) It extends to the whole of India, and it shall also apply to—

(*a*) citizens of India outside India; and

(*b*) associates, branches or subsidiaries, outside India, of companies or bodies corporate, registered or incorporated in India.

(*3*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. (*1*) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "association" means an association of individuals, whether incorporated or not, having an office in India and includes a society, whether registered under the Societies Registration Act, 1860, or not, and any other organisation, by whatever name called; 21 of 1860

(*b*) "candidate for election" means a person who has been duly nominated as a candidate for election to any Legislature;

(*c*) "foreign contribution" means the donation, delivery or transfer made by any foreign source,—

(*i*) of any article, not being an article given to a person as a gift for his personal use, if the market value, in India, of such article, on the date of such gift, does not exceed one thousand rupees;

(*ii*) of any currency, whether Indian or foreign;

(*iii*) of any foreign security as defined in clause (*i*) of section 2 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973; 46 of 1973

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 49)
[1 अक्तूबर, 1982 को यथाविद्यमान] का शुद्धि-पत्र

Corrigenda of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (Act No. 49 of 1976)
[As on the 1st October, 1982]

पृष्ठ सं० Page No.	धारा Section	पंक्ति Line	के स्थान पर For	पढ़ें Read
धाराओं का क्रम	25	1	उनके लिए	उनके लिए शास्ति
"	26	1	शास्ति कम्पनियों	कम्पनियों
2	2(1)(ङ)(ii)	1–2	अन्तर्राष्ट्रीय	अन्तरराष्ट्रीय
2	2(1)(ङ)(iv)	1	किसी विदेशी	किसी विदेश
3	2(3)	3	म हैं।	में हैं।
3	मध्य शीर्ष	–	विदेश अभिदाय	विदेशी अभिदाय
3	4, पार्श्व शीर्ष	1	निर्वाचन-अम्यर्थी	निर्वाचन-अभ्यर्थी
4	4 (2)(ख)	5	ना	करना
4	5, पार्श्व शीर्ष	4	की पर्व	की पूर्व
6	10, पार्श्व शीर्ष	2–3	मै विदशी	में विदेशी
6	10(ङ)(v)	1	समहों, जातियों या समदायों	समूहों, जातियों या समुदायों
7	12	10	in relations	in relation
7	12	4	व्यक्ति की	व्यक्ति को
7	14	7	वग 1	वर्ग 1
8	19 (a)	1	without limits,	without limit,
8	19	1	किसी अधिग्रहण	किसी अधिहरण
8	21(1) (ख)	1	आदेश द्वारा 19,	आदेश धारा 19
8	21 (2)	1	धारा 9 अथवा 10	धारा 9 या धारा 10
8	21 (2)	4	आदेश भी तारीख	आदेश की तारीख
9	26 (1)	5	proceded	proceeded
9	22	1	प्रतिषोधात्मक	प्रतिषेधात्मक
9	24, पार्श्व शीर्ष	2	क लिए	के लिए
9	25, पार्श्व शीर्ष	4	उनक	उनके
9	25	1	शासित	शास्ति
10	29, पार्श्व शीर्ष	2	कार्रवाही	कार्रवाई
10	30, पार्श्व शीर्ष	1	के शक्ति।	की शक्ति।

विक्रेता— (1) प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110 001.

(2) प्रकाशन-नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054.